बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि० / स्था०17–01 / 2021 69 / पटना, दिनांक:– 30/03/26

कार्यालय आदेश

श्री अखिलेश कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास, सासाराम के विरूद्ध दिनांक–12.07.2014 को अपराह्न से अनाधिकृत रूप से बिना अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय छोड़े तथा आज की तिथि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में निदेशालय के का०आ०सं०–188 सहपठित ज्ञापांक–986 दिनांक–03.06.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), रोहतास, सासाराम को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का पत्रांक–2849 / रा० दिनांक–17.12.2024 द्वारा संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित संचालन प्रतिवेदन में आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में लगाये गये सभी आरोप सत्य प्रमाणित होता है।

श्री अखिलेश कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास, सासाराम से निदेशालय का पत्रांक–292 सहपठित ज्ञापांक–292 दिनांक–25.02.2025 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का पत्रांक–2849 / रा० दिनांक–17.12.2024 द्वारा प्रपत्र 'क' में लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित होता है पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत अभ्यावेदन की मांग की गयी तथा निदेशालय का पत्रांक–926 दिनांक–30.05.2025, पत्रांक–1316 दिनांक–13.07.2025, पत्रांक–1521 दिनांक–01.09.2025 एवं पत्रांक–1695 दिनांक–10.10.2025 द्वारा स्मारित भी किया गया लेकिन अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है।

उक्त के आलोक में निदेशालय का पत्रांक–2068 दिनांक–18.12.2025 द्वारा दिनांक–29.01.2026 दिन–गुरूवार को प्रेस विज्ञप्ति (दैनिक भास्कर अखबार) के माध्यम से श्री कुमार से अभ्यावेदन की मांग की गयी लेकिन अभ्यावेदन अबतक अप्राप्त है।

ज्ञातव्य हो कि श्री कुमार से जाँच प्रतिवेदन पर अभ्यावेदन मांगे जाने की अवधि छः माह से अधिक हो चुकी है।

ज्ञातव्य हो कि श्री अखिलेश कुमार दिनांक–12.07.2014 अपराह्न से आजतक कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा संचालन प्रतिवेदन पर अपना अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने से स्पष्ट होता है कि सरकारी सेवा करने में इनकी अभिरूचि नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका सेवा में बने रहना सरकारी हित में नहीं है।

वर्णित तथ्यों एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए श्री अखिलेश कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास, सासाराम पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम–14(xi) के तहत **आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करने संबंधी दंड** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है एवं कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि का कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

ह० / –

(रणजीत कुमार)
निदेशक

02- Office Order- 10.03.2026-Akhilesh Kumar

ज्ञापांक:–अ०सां०नि० / स्था०17–01 / 2021 554 / पटना, दिनांक:– 30/03/26

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम का पत्रांक–65 दिनांक–01.02.2021 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप निदेशक(सांख्यिकी), पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कोषागार पदाधिकारी, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री अखिलेश कुमार, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/26

निदेशक